# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—426/2016/223 (2016/00426)**

**रामपाल पुत्र रूपा (मृतक) जरिये वारिसानः—**

1. रामकंवरी बेवा रामपला,
2. अमरा पुत्र रामपाल,
   समस्त जाति भील, निवासी ग्राम रामसर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 21.6.2012 अंतर्गत वाद संख्या 109/2010.**

**उपस्थितः—**

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

## निर्णय

**दिनांकः— 27.5.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद के वर्किंग खसरा नंबर 6857 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नंबर 6858 रकबा 8 बीघा आराजी पर वादी 100 वर्षो से काबिज काश्त है तथा नामांतकरण संख्या 96 दिनांक 11.5.2000 द्वारा खसरा नंबर 11.5. 2000 द्वारा खसरा नंबर 6858 को चारागाह दर्ज कर दिया । अतः लगातार कब्जे काश्त के आधार पर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2012 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दावे व जवाबदावे के

आधार पर आवश्यक तनकियात कायम किये बिना निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वादी/अपीलांटस कई वर्षो से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों व बंदोबस्त विभाग द्वारा अपीलांटस के नाम खातेदारी इंद्राज नहीं की गई जबकि विवादित आराजी पर वादी अपीलांटस का पुराना कब्जा काश्त होने से उन्हें खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो चुके थे । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद का खण्डन नहीं किया गया जिससे भी वाद स्वीकार किये जाने योग्य था। विवादित भूमि गलत रूप से सिवायचक से चारागाह दर्ज की गई है जिसका राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियों को काई अधिकार नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 में प्रस्तुत वाद में रामपाल स्वंय ही पैरवी करते थे जिनका स्वर्गवास हो गया तथा अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में नियुक्त अभिभाशक की जानकारी नहीं थी, इस कारण प्रार्थीगण अपने अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सके जिससे अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । निर्णय की जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 28.8.2016 को नसीराबाद जाकर जानकरी करने पर उक्त निर्णय की पुष्टि होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस/वादीगण ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है किन्तु नियमों में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नंबर 6858 जरिये नामांतकरण संख्या 96 चारागाह दर्ज की जा चुकी है तथा चारागाह भूमि पर खातेदारी दिया जाना नियमों में प्रतिबंधित है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है किन्तु अपने निरन्तर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । इस संबंध में अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 कायम कर विस्तृत विवेचन कर तनकी संख्या 1 खारिज की है । अपीलांट स्वंय का यह कथन है कि विवादित भूमि खसरा नंबर नंबर

6858 जरिये नामांतकरण संख्या 96 चारागाह दर्ज की जा चुकी है । नियमों में चारागाह भूमि पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । वादी/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद एवं अपील साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरांत वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

10. निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**